



उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1944

(1 मार्च, 2023)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न। (देखिये नत्थी 'क')

2-मुख्य मंत्री, जनपद-अमरोहा में आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा राशन वितरण में भारी अनियमितताओं के सम्बन्ध में डा० हरी सिंह ढिल्लो व श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

3-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-कोल्हुआ, पोस्ट-टाड़ा, विकास खण्ड-बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के निवासियों की ओर से हनुमान जी के मन्दिर का सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

4-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बरवां, विकास खण्ड-ठेकमा, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से सी०सी० सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

5-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत सेक्टर-1, जानकीपुरम विस्तार, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

6-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बैसार, ब्लाक-बांसी, जनपद-सिद्धार्थनगर के निवासियों की ओर से सरकारी नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

7-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-चंद्रपुरा, विकास खण्ड-महेवा, जनपद-इटावा के निवासियों की ओर से सामुदायिक भवन का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

8-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सराय जलाल, विकास खण्ड-महेवा, जनपद-इटावा के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

9-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-चमरसेना, विकास खण्ड-कोंच, जनपद-जालौन के निवासियों की ओर से नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

10-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सुनाया, विकास खण्ड-कोंच, जनपद-जालौन के निवासियों की ओर से नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'झ')

11-श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत वार्ड कुन्दीगढ़ (निकट रौजा), आजमगढ़ नगर पालिका परिषद्, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से सी0सी0 सड़क व नाले का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

12-श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-उमरी, विकास खण्ड-लालगंज, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से सी0सी0 सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ट')

13-श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत बड़ी खजरी, राजातालाब, जनपद-वाराणसी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ठ')

14-श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा-रामपुर जगन, पोस्ट-कटैला, जनपद-गाजीपुर के निवासियों की ओर से ट्रांसफार्मर का भार बढ़वाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ड')

15-डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-कैमार, जनपद-हाथरस के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ढ')

16-डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरु जी', सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत मुकुन्द विहार कालोनी, निकट 38वीं वाहिनी पी0ए0सी0, रामघाट रोड, जनपद-अलीगढ़ के निवासियों की ओर से सी0सी0 सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ण')

17-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सहसपुर व खड़रहिया, विकास खण्ड-बिजुआ, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'त')

18-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-लखरावां, विकास खण्ड-बिजुआ, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'थ')

19-डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा-परसोन्तिमा, विकास खण्ड-गौरी बाजार, जनपद-देवरिया के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'द')

20-डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-श्रीनगर कोल्हुआ, ब्लॉक-रूद्धपुर, जनपद-देवरिया के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ध')

21-श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-चन्दापुर, विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर, जनपद-प्रतापगढ़ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'न')

22-श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत वार्ड नम्बर-13, उन्नाव नगर पालिका परिषद्, जनपद-उन्नाव के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'प')

23-श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत हरबंशपुर, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से सिधारी हाइडिल से कन्धरापुर को जाने वाली 33000 वोल्ट विद्युत लाइन को स्थानान्तरित अथवा भूमिगत करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'फ')

24-श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-घोरठ व परानापुर, ब्लाक-पल्हनी, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से नाले की मरम्मत व सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ब')

25-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा व विकास खण्ड-मसौली, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से बारात घर का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'भ')

26-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा-अम्बौर, विकास खण्ड-मसौली, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'म')

27-श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-समुखा, विकास खण्ड-माधौगंज, तहसील-बिलग्राम, जनपद-हरदोई के निवासियों की ओर से राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय/प्रसव केन्द्र का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'य')

28-श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-बेढौना, विकास खण्ड-काकोरी, तहसील-सदर,

जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से विद्युतीकरण का कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'र')

29-श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सभा-महुवारी खास, ब्लाक-चहनिया, तहसील-सकलडीहा, जनपद-चन्दौली के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ल')

30-डा0 बाबू लाल तिवारी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम व पोस्ट-बाबू खजुरी, विकास खण्ड-मेहनगर, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'व')

31-श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत न्यू गुडौरा ट्रांसपोर्ट, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'श')

32-वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा। (चतुर्थ दिवस)

लखनऊ :
बुधवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1944
(01 मार्च, 2023)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

1 मार्च, 2023

विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2023) का द्वितीय बुधवार

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
*1	12-2-2023
*2	12-2-2023
*3	12-2-2023
*4	12-2-2023
*5	12-2-2023
*6	13-2-2023
*7	13-2-2023
*8	14-2-2023
*9	14-2-2023



प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/प्राप्त होने की तिथि
1	12-2-2023
2	12-2-2023
3	12-2-2023

अतारांकित प्रश्न

नत्थी 'क'

बुधवार, दिनांक 1 मार्च, सन् 2023 ई०

तारांकित प्रश्न

जनपद-रायबरेली के विकास खण्डों-ऊँचाहार, डलमऊ, जगतपुर, सलोन व राही में निम्नलिखित पंजीयन संख्या के लाभार्थियों के खातों में अन्त्येष्टि एवं महात्मा गांधी पेंशन विकलांग सहायता हेतु योजना की धनराशि भेजे जाने के सम्बन्ध में

डा० मान सिंह यादव

1

*1-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि

जनपद-रायबरेली के विकास खण्डों-ऊँचाहार, डलमऊ, जगतपुर, सलोन, राही में पंजीयन संख्या-09295297267617, 09296497257381, 0929697909067, 09296300037445, 09296697075840, 0929600042458, 09296600018257, 09296698161296, 09296603644694, 09296603694964, 09296603668344 व 09295198034671 के माध्यम से अन्त्येष्टि सहायता हेतु योजना एवं महात्मा गांधी पेंशन विकलांग योजना दिये जाने के आवेदन किये गये हैं ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में अन्त्येष्टि एवं महात्मा गांधी पेंशन विकलांग सहायता हेतु योजना की धनराशि भेज दी गयी है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

(घ) उक्त की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-सिद्धार्थनगर के अनेक चिन्हित खनन स्थानों पर मानक के विपरीत खनन का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

2

*2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि खनन के लाइसेंस आवंटन में आवंटियों को बालू खनन करने की कोई निर्धारित गहराई तक ही खनन करने के निर्देश दिये गये हैं ?

मुख्य मंत्री

(ख) जनपद सिद्धार्थनगर के अनेक चिन्हित खनन स्थानों पर गहराई, लम्बाई व चौड़ाई का निर्धारण किन अधिकारियों द्वारा किया जाता है ?

(ग) क्या उक्त निर्धारण के आधार पर जनपद सिद्धार्थनगर में खनन स्थानों में गहराई के निर्धारण के अनुसार खनन करने का अनुपालन किया जाता है ?

(घ) क्या मानक के विपरीत खनन करने के कारण नदियों के उथली हो जाने के कारण बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है ?

(ङ) क्या ऐसे उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में बेरोजगारी दूर किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के सम्बन्ध में

डा० मान सिंह यादव

3

*3-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी रही है और उक्त बेरोजगारी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

(ख) सरकार की उपरोक्त बेरोजगारी दूर किये जाने की कार्यवाही के सापेक्ष अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

जनपद-सिद्धार्थनगर में निर्माणाधीन घरों की पटाई हेतु खुदाई करने वाले मिट्टी लोडरों से चालान के नाम पर लिये गये जुर्माने की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

4

*4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में मिट्टी निकालने वाले और ट्रैक्टर ट्राली या समतली करने हेतु खुदाई करने वाले मिट्टी लोडरों को प्रशासन द्वारा कितने का चालान किया गया और कितनी धनराशि की वसूली की गई है ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या निर्माणाधीन घरों की पटाई हेतु पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा अवैध वसूली शुल्क न देने के कारण ये चालान किये गये हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो चालान के नाम पर लिये गये जुर्माने की उच्च स्तरीय जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
5

*5-[अन्तरित]

वर्तमान में बेरोजगारी तथा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्तियों के सापेक्ष रोजगार बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
6

*6-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि सेवायोजन विभाग के अनुसार वर्तमान में कुल कितने व्यक्तियों ने नौकरियों की तलाश के लिए सेवायोजन पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कराया है तथा इसके सापेक्ष कुल कितनी नौकरियां उपलब्ध हैं ?

श्रम एवं सेवायोजन
मंत्री

(ख) बेरोजगारी तथा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्तियों के सापेक्ष नौकरियों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में रोजगार बढ़ाने के लिए योजनाएं हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त का विवरण क्या है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मान सिंह यादव
7

*7-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

श्री आशुतोष सिन्हा
8

*8-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद-वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में जिला योजना समिति की बैठक की तिथि एवं इन जनपदों के प्रभारी मंत्रियों की सूची उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
9

*9-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में जिला योजना समिति की आखिरी बैठक की तिथि एवं इन जनपदों के प्रभारी मंत्रियों की सूची उपलब्ध करायेंगे ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त जनपदों की जिला योजना समिति की अगली बैठक प्रस्तावित है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री आशुतोष सिन्हा

1

1-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि मिर्जापुर व वाराणसी मण्डल के अन्तर्गत बस डिपो द्वारा पिछले तीन वर्षों में कितनी जर्जर बसों को बदल कर नई बसों को संचालित कराया गया है ?

परिवहन राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मान सिंह यादव

2

2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि खाद्य रसद विभाग द्वारा किराये पर लिये गये गोदामों को शासनादेश सं०-21/2018/346 29-03-2018 जी 26/202 खाद्य रसद अनुभाग-3, दिनांक 02 मई, 2018 द्वारा शासकीय प्रयोग हेतु लिये गये गोदामों में किराया वृद्धि के विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या जनपद-रायबरेली में किराये पर लिये गये गोदामों का पुनरीक्षित दरों से भुगतान दिनांक 10 जनवरी, 2023 तक उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, रायबरेली को प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर शासनादेश निर्गत होने की तिथि दिनांक 01-05-2018 से किया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या पुनरीक्षित दरों पर उक्त किराये का भुगतान करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

3

3-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि विकास खण्डों-ऊँचाहार, डलमऊ, जगतपुर, सलोन, राही, जनपद-रायबरेली में पंजीयन संख्या-09296603610640, 092966897156072, 09296603610640, 09296624091883, 09296600036073, 09295197442102, 09296697909067, 09296603644255, 092998245124, 09296497933896, 09296497815340, 09296497824862, 09296400043774, 09296497534968, 09296403587761, 09295197815353, 09296403591934, 09296403591943, 09296400052729, 09296400052757, 09295103587751, 09296697106218, 09296497387524, 09296497815348, 09296400052417, 09296397144132, 09296697815447, 09296400052802 व 09295197442100 के माध्यम से शादी अनुदान/सामूहिक शादी अनुदान दिये जाने के आवेदन किये गये हैं ?

श्रम एवं सेवायोजन
मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में शादी अनुदान एवं सामूहिक शादी अनुदान भेज दी गयी है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) क्या उक्त की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?



नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-गोरखपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बड़हलगंज, पोस्ट-टाड़ा, ग्राम-कोल्हुआ चौराहा, साऊखोर सेमरा मार्ग के पास स्थित हनुमान जी के मन्दिर का सुन्दरीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-कोल्हुआ, पोस्ट-टाड़ा, विकास खण्ड-बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-कोल्हुआ, चौराहा साऊखोर सेमरा मार्ग के पास हनुमान जी का बहुत प्राचीन मन्दिर स्थित है। उक्त मन्दिर का सुन्दरीकरण कराये जाने हेतु वहाँ के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि मन्दिर का सुन्दरीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड-टेकमा में श्री राजाराम लोहार के घर से जलालपुर होते हुये श्री सुरेन्द्र सिंह के घर तक सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-बरवां, विकास खण्ड-टेकमा, जनपद-आजमगढ़ के निवासी हैं। हमारे गांव में राजाराम लोहार के घर से जलालपुर होते हुये श्री सुरेन्द्र सिंह के घर तक सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जिसके कारण वहाँ के निवासियों को आवागमन में काफी असुविधा होती है, उक्त

मार्ग को बनाये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत जानकीपुरम् विस्तार में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जानकीपुरम् विस्तार, जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। जानकीपुरम् विस्तार के सेक्टर-एक से सेक्टर-11 तक में एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण वहाँ के निवासियों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जानकीपुरम् विस्तार में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बांसी, ग्राम-बैसार में सिंचाई हेतु सरकारी ट्यूबवेल लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-बैसार, विकास खण्ड-बांसी, जनपद-सिद्धार्थनगर के निवासी हैं। हमारे ग्राम-बैसार में कृषि योग्य भूमि खाता नं0-00044 व खसरा संख्या-118, 120, 121, 122, 123, 124, 125 में स्थित है। ग्राम में सिंचाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण प्रायः फसलें सूख जाती हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति पहुँचती है, जिसके कारण गांव के किसानों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-बैसार में सिंचाई हेतु सरकारी ट्यूबवेल लगाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-इटावा के अन्तर्गत विकास खण्ड-महेवा, ग्राम पंचायत-चन्द्रपुरा में एक सामुदायिक भवन (वीर गाथा स्मृति भवन) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-चन्द्रपुरा, विकास खण्ड-महेवा, जनपद-इटावा के निवासी हैं। ग्राम चन्द्रपुरा में सामुदायिक भवन न होने से क्षेत्रवासियों को शादी (विवाह) के कार्यक्रम में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-इटावा के अन्तर्गत विकास खण्ड-महेवा, ग्राम पंचायत-सराय जलाल में उमेश के प्लाट से कबीर विज्ञान आश्रम तक इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-सराय जलाल, विकास खण्ड-महेवा, जनपद-इटावा के निवासी हैं। ग्राम पंचायत-सराय जलाल में उमेश के प्लाट से कबीर विज्ञान आश्रम तक सड़क और नाली अत्यन्त क्षतिग्रस्त अवस्था में है। जिसके कारण वहाँ के निवासियों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-सराय जलाल में इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली बनवाये कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
11 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-कोंच, ग्राम पंचायत-चमरसेना में श्री राम किशोर पटेल के मकान से बड़े तालाब तक लगभग-400 मीटर नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-चमरसेना, विकास खण्ड-कोंच, जनपद-जालौन के निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-चमरसेना में राम किशोर पटेल के मकान से बड़े तालाब तक लगभग-400 मीटर नाला का निर्माण न होने से ग्रामीणों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत-चमरसेना में नाला का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर काफी प्रयास किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-चमरसेना में नाला बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
04 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'
याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-कोंच, ग्राम पंचायत-सुनाया में प्राइमरी विद्यालय से जूनियर विद्यालय तक लगभग-400 मीटर नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-सुनाया, विकास खण्ड-कोंच, जनपद-जालौन के निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-सुनाया में प्राइमरी विद्यालय से जूनियर विद्यालय तक लगभग-400 मीटर नाली काफी जर्जर अवस्था में है। जिसके कारण ग्रामीणों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत-सुनाया में नाली का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर काफी प्रयास किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-सुनाया में प्राइमरी विद्यालय से जूनियर विद्यालय तक नाला बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'अ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत वार्ड कुन्दीगढ (निकट रौजा) में पद्म विश्वकर्मा के घर से ज्योति निकेतन स्कूल की बाउण्डरी तक लगभग-400 मीटर नाला व सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण कुन्दीगढ (निकट रौजा), जनपद-आजमगढ़ के निवासी हैं। हमारे वार्ड कुन्दीगढ (निकट रौजा) में पद्म विश्वकर्मा के घर से ज्योति निकेतन स्कूल की बाउण्डरी तक सड़क व नाली का निर्माण न होने से ग्रामवासियों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि वार्ड कुन्दीगढ (निकट रौजा) में पद्म विश्वकर्मा के घर से ज्योति निकेतन स्कूल की बाउण्डरी तक नाला व सी0सी0 रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ट'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड-लालगंज, ग्राम पंचायत-उमरी श्री में काली माता के स्थान से श्री शैलेश के खेत तक लगभग-150 मीटर सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-उमरी श्री, विकास खण्ड-लालगंज, जनपद-आजमगढ़ के निवासी हैं। हमारे ग्राम सभा में काली माता के स्थान से शैलेश के खेत तक सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जिससे क्षेत्रवासियों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत उमरी श्री में काली माता के स्थान से श्री शैलेश के खेत तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ठ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-वाराणसी के अन्तर्गत बड़ी खजरी राजातालाब में श्री ओमकार सिंह के घर से श्री अम्बुज सिंह के घर तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण बड़ी खजरी राजातालाब, जनपद-वाराणसी के निवासी हैं। हमारे गांव में ओमकार सिंह के घर से अम्बुज सिंह के घर तक सड़क का निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर काफी प्रयास किया गया है, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ड'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-गाजीपुर के अन्तर्गत पोस्ट-कटैला, ग्राम सभा-रामपुर जगन के विद्युत खण्ड प्रथम, सब-स्टेशन अंधऊ में श्री रामदुलार सिंह के घर के समीप स्थित 25 के0वी0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम सभा-रामपुर जगन, पोस्ट-कटैला, जनपद-गाजीपुर के निवासी हैं। ग्राम सभा-रामपुर जगन के विद्युत खण्ड प्रथम, सब-स्टेशन अंधऊ में श्री रामदुलार सिंह के घर के समीप स्थित 25 के0वी0 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु जिला स्तर पर काफी प्रयास किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि उक्त ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ढ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-हाथरस के अन्तर्गत ग्राम-कैमार में शिभुपाल नाई के मकान से श्री शरण गोपाल, मैनेजर के मकान तक लगभग-350 मीटर सी0सी0 सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-कैमार, जनपद-हाथरस के निवासी हैं। हमारे गांव कैमार में शिभुपाल नाई के मकान से शरण गोपाल, मैनेजर के मकान तक लगभग-350 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थित में है। जिससे ग्रामवासियों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ण'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत मुकुन्द विहार निकट 38 वीं वाहिनी पी0ए0सी0 ग्रेट वैल्यू मॉल के सामने रामधार रोड जो श्री प्रवीन कुमार आर्य रिकू चौधरी के आवास से श्री देवेश उपाध्याय के आवास तक लगभग-150 मीटर सी0सी0/ इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण मुकुन्द विहार कालोनी, जनपद-अलीगढ़ के निवासी हैं। हमारे मुकुन्द विहार कालोनी के निकट 38 वीं वाहिनी पी0ए0सी0 ग्रेट वैल्यू मॉल के सामने रामधार रोड जो प्रवीन कुमार आर्य रिकू चौधरी के आवास से देवेश उपाध्याय के आवास तक लगभग-150 मीटर सड़क मार्ग व नाली अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थित में है। जिससे ग्रामवासियों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्ग का निर्माण

कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि मुकुन्द विहारी कालोनी में सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड व नाली बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'त'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिजुआ में ग्राम-सहसपुर से ग्राम-खड़रहिया तक लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-सहसपुर, विकास खण्ड-बिजुआ, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासी हैं। गांव सहसपुर से खड़रहिया गांव तक लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। जिसके कारण वहाँ के निवासियों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-सहसपुर से ग्राम-खड़रहिया तक सड़क बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'थ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिजुआ, ग्राम पंचायत-लखरावां में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड लखरावां से श्री अमृत पाल के घर तक लगभग-01 किलोमीटर खड़न्जा मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-लखरावां, विकास खण्ड-बिजुआ, जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-लखरावां में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड लखरावां से अमृत पाल के घर तक लगभग-01 कि0मी0 सड़क मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। जिसके कारण वहाँ के निवासियों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-लखरावां में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड लखरावां से अमृत पाल के घर तक खड़न्जा बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'द'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-देवरिया के अन्तर्गत विकास खण्ड-गौरी बाजार, ग्राम सभा-परसोन्तिमा में ग्राम-वनिएनी से पननहा मार्ग से होते हुये श्री रमाकान्त मौर्य के घर से ग्राम सभा-करमेल में प्रधानमंत्री सड़क तक सी0सी0/डामरीकरण सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम सभा-परसोन्तिमा, विकास खण्ड-गौरी बाजार, जनपद-देवरिया के निवासी हैं। ग्राम सभा-परसोन्तिमा में ग्राम-वनिएनी से पननहा मार्ग से होते हुये रमाकान्त मौर्य के घर से ग्राम सभा-करमेल में प्रधानमंत्री सड़क तक सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जिससे वहाँ के क्षेत्रवासियों व स्कूली बच्चों को आवागमन में विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम सभा-परसोन्तिमा में ग्राम-वनिएनी से पननहा मार्ग से होते हुये रमाकान्त मौर्य के घर से ग्राम सभा-करमेल में प्रधानमंत्री सड़क तक सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ध'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-देवरिया के अन्तर्गत विकास खण्ड-रुद्रपुर, ग्राम पंचायत-श्रीनगर कोल्हुआ में रुद्रपुर करहकोल से श्रीनगर कोल्हुआ के राजपूत से होते हुये ग्राम-हरजुपुर सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0/डामरीकरण सड़क व नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम पंचायत-श्रीनगर कोल्हुआ, विकास खण्ड-रुद्रपुर, जनपद-देवरिया के निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत-श्रीनगर कोल्हुआ में रुद्रपुर करहकोल से श्रीनगर कोल्हुआ के राजपूत से होते हुये ग्राम-हरजुपुर सम्पर्क मार्ग तक सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त एवं टूटी-फूटी है। जिससे वहाँ के क्षेत्रवासियों व स्कूली बच्चों को आवागमन में विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत-श्रीनगर कोल्हुआ में रुद्रपुर करहकोल से श्रीनगर कोल्हुआ के राजपूत से होते हुये ग्राम-हरजुपुर सम्पर्क मार्ग तक सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
07 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'न'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर, ग्राम-चन्दापुर में प्राथमिक विद्यालय से ओम प्रकाश यादव के घर से होते हुये मुन्ना भुजवा के घर तक पिच रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-चन्दापुर, विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर, जनपद-प्रतापगढ़ के मूल निवासी हैं। ग्राम-चन्दापुर में प्राथमिक विद्यालय से ओम प्रकाश यादव के घर से होते हुये मुन्ना भुजवा के घर तक सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। स्थानीय नागरिकों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'प'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत वार्ड संख्या-13 मे श्री कन्हैया लाल गुप्ता के घर से होकर श्री सतीश कुमार के घर से होते हुये श्री रामकिशोर, श्री अवधेश गुप्ता के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण वार्ड नम्बर-13, जनपद-उन्नाव के मूल निवासी हैं। हमारे वार्ड संख्या-13 मे कन्हैया लाल गुप्ता के घर से होकर सतीश कुमार के घर से होते हुये रामकिशोर, अवधेश गुप्ता के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली अत्यन्त क्षतिग्रस्त अवस्था में है। जिससे वहाँ के निवासियों को आवागमन में विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों द्वारा उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि वार्ड नम्बर-13 में इण्टरलॉकिंग रोड व नाली बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'फ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत सिधारी हाइडिल से होते हुये कन्धरापुर में 33000 वोल्ट बिजली के तार को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-आजमगढ़ के निवासी हैं। हमारे यहाँ सिधारी हाइडिल से होते हुये कन्धरापुर में 33000 वोल्ट के बिजली के तार जो घनी आबादी के बीच से होते हुये A.R.T.O. हरबंशपुर के ऊपर से विद्युत का तार गुजर रहा है जिसके नीचे लगभग हजारों रिहायसी परिवार हैं और इससे जान-माल का खतरा बना हुआ है। सिधारी हाइडिल से होते हुये कन्धरापुर में 33000 वोल्ट के बिजली के तार

को अन्य स्थान पर स्थान्तरित किये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि सिधारी हाइड्रिल से होते हुये कन्धरापुर में 33000 वोल्ट बिजली के तार को अन्य स्थान पर स्थान्तरित किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ब'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील-सदर, विकास खण्ड-पल्हनी, ग्राम-घोरठ-परानापुर में ए0आर0टी0ओ0 (हरबंशपुर) से ग्राम-घोरठ व परानापुर होते हुये बेलइसा ओवर ब्रिज तक सड़क मार्ग व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम-घोरठ व परानापुर, विकास खण्ड-पल्हनी, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम-घोरठ-परानापुर में ए0आर0टी0ओ0 (हरबंशपुर) से ग्राम-घोरठ व परानापुर होते हुये बेलइसा ओवर ब्रिज तक सड़क व नाली अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है तथा बरसात के समय जल भी सड़क मार्ग पर भर जाता है। स्थानीय नागरिकों द्वारा उक्त कार्य कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-घोरठ व परानापुर में सड़क व नाली बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'भ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील-नवाबगंज, विकास खण्ड व ग्राम सभा-मसौली में (सामुदायिक भवन) विवाह घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम सभा व विकास खण्ड-मसौली, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी के निवासी हैं। हमारे ग्राम सभा-मसौली में (सामुदायिक भवन) विवाह घर नहीं बना हुआ है जिससे वहाँ के निवासियों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम सभा-मसौली में (सामुदायिक भवन) विवाह घर बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'म'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील-नवाबगंज, विकास खण्ड-मसौली, ग्राम सभा-अम्बौर में उधौली अम्बौर रोड से नहर पुलिया होते हुये तुलसीपुर नहर पुलिया तक लगभग-700 मीटर सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम सभा-अम्बौर, विकास खण्ड-मसौली, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी के निवासी हैं। ग्राम सभा-अम्बौर में उधौली अम्बौर रोड से नहर पुलिया होते हुये तुलसीपुर नहर पुलिया तक लगभग-700 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। जिसके कारण वहाँ के निवासियों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम सभा-अम्बौर में सड़क बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'य'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-हरदोई के अन्तर्गत विकास खण्ड-माधौगंज, ग्राम-समुखा व जलिहापुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रसव केन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-समुखा, विकास खण्ड-माधौगंज, जनपद-हरदोई के निवासी हैं। हमारे 22 गाँवों के ग्राम सभा-समुखा नेवादा, नटपुरवा, सरदार नगर, तकिया, कजरी, मढिया, कंथरी, ठकुरीखेडी, नंदापुरवा, सेंधरौली, दिबियापुर पसियनपुरवा, जलिहापुर, खुर्दामदारपुर, भजेहटा, तरहेटिया, परनखा, डकौली, परौली, बाढ़, मिर्जागंज आदि 22 गाँवों के मध्य में कोई राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/महिला प्रसव केन्द्र न होने के कारण मरीजों के उपचार हेतु काफी दूर-दराज चिकित्सालयों में मरीज को गम्भीर हालत में परिजनों के साथ जाना पड़ता है। जिससे गाँवों के निर्धन व बीमारी से ग्रसित मरीजों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ग्राम समुखा में एक राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय/प्रसव केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-समुखा व जलिहापुर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रसव केन्द्र खुलवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

04 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'र'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-काकोरी, ग्राम-बेढौना के छूटे मकानों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम-बेढौना, विकास खण्ड-काकोरी, जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। हमारे ग्राम-बेढौना की विद्युत आपूर्ति फतेहगंज पावर हाउस, काकोरी, लखनऊ से संचालित है। उक्त गांव किसान पथ/आउटर रिंग रोड के दोनों तरफ आबादी है। बेढौना के कुछ घर जो रिंग रोड के दूसरी तरफ आते हैं, जिसमें गाटा संख्या-244 में निर्मित कई भवन आस-पास के अन्य गाटा संख्या में कई वर्षों से भवन निर्मित है। गांव के लोग किसी प्रकार स्वयं के खर्चे पर बांस के खम्भे लगाकर तार खींचकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा है तथा कई भवन निर्माणाधीन हैं परन्तु पुल के पास बेढौना के सम्मुख स्थित ट्रांसफार्मर के मध्य सर्विस लेन के किनारे पोल व तार न लगे होने के कारण विद्युत सुविधा से वंचित हैं। उक्त रोड के किनारे बेढौना के सम्मुख लगे ट्रांसफार्मर से काकोरी-मोहान रोड के पुल तक 8 से 10 विद्युत के पोल रोड के किनारे लगवाये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम-बेढौना के छूटे मकानों में विद्युतीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

04 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ल'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-चन्दौली के अन्तर्गत तहसील-सकलडीहा, विकास खण्ड-चहनिया, ग्राम सभा-महुवारी खास में श्री बालमुर्ति यादव, पूर्व प्रधान के मकान से डा0 रामचन्द्र के मकान तक लगभग-40 मीटर डामरीकरण सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम सभा-महुवारी खास, विकास खण्ड-चहनिया, तहसील-सकलडीहा, जनपद-चंदौली के निवासी हैं। हमारे ग्राम सभा-महुवारी खास में बालमुर्ति यादव, पूर्व प्रधान के मकान से डा0 रामचन्द्र के मकान तक लगभग-40 मीटर सड़क मार्ग बहुत ही जर्जर अवस्था में है। जिससे ग्रामवासियों को आने-जाने में काफी असुविधा होती है तथा बरसात के दिनों में सड़क मार्ग पर जल भर जाता है। उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम सभा-महुवारी खास में डामरीकरण सड़क बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'व'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड-मेहनगर, ग्राम व पोस्ट-बाबू खजुरी के मुख्य मार्ग पर स्थित शिव जी के मन्दिर से डा0 इन्द्रसेन सिंह के घर तक लगभग 200 मीटर सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम व पोस्ट-बाबू खजुरी, विकास खण्ड-मेहनगर, जनपद-आजमगढ़ के निवासी हैं। हमारे गांव में बाबू खजुरी के मुख्य मार्ग पर स्थित शिव जी के मन्दिर से डा0 इन्द्रसेन सिंह के घर तक लगभग 200 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जिससे ग्रामवासियों को विकराल परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम व पोस्ट-बाबू खजुरी में सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'श'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत न्यू गुडौरा ट्रांसपोर्ट नगर में न्यू गुडौरा में अर्जुन लोधी के घर से शशी देवी के घर तक लगभग 350 मीटर सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण न्यू गुडौरा ट्रांसपोर्ट नगर, जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। न्यू गुडौरा ट्रांसपोर्ट नगर में न्यू गुडौरा में अर्जुन लोधी के घर से शशी देवी के घर तक लगभग-350 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है। जिससे वहाँ के निवासियों को विकराल परेशानी होती है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि न्यू गुडौरा ट्रांसपोर्ट नगर में न्यू गुडौरा में अर्जुन लोधी के घर से शशी देवी के घर तक सी0सी0/इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।
